

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 38/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/45

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी वनाम
बांसवाड़ा (राज)

अभिगुक्त :-

रतनपाल पुत्र श्री मोतीलाल जैन मैसर्स – कपिल
एन्टरप्राइजेज, मुडासल रोड डुंगरिया, तहसील –
घाटोल, बांसवाड़ा

**अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011
निर्णय**

दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 07-06-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 08-03-2022 को 04.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स – कपिल एन्टरप्राइजेज, मुडासल रोड डुंगरिया, तहसील – घाटोल, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर रतनपाल पुत्र श्री मोतीलाल जैन उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर तेजा मिर्च पाउडर के 20 पैकेट 500-500 ग्राम के आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें गिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए तेजा मिर्च पाउडर के चार पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 560 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा तेजा मिर्च पाउडर के चारो पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/116-117 दिनांक 29.03.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 316 दिनांक 23.03.22 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया तेजा मिर्च पाउडर का नमूना

१९

अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा तेजा मिर्च पाउडर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-06-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली : उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/116-117 दिनांक 29.03.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 316 दिनांक 23.03.2022 अनुस विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया तेजा मिर्च पाउडर का नमूना अमानक मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety and standerds : 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐ स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रक का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के त सबरस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड तेजा मिर्च पाउडर को विक्रय क खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित दि जाकर रतनपाल पुत्र श्री मोतीलाल जैन मैसर्स - कपिल एन्टरप्राइजेज, मुडासल रोड डुंगरिया, तह-



- घाटोल, बाँसवाडा को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू दस हजार मात्र) के अर्थ वण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।


(नरेश बुन्कर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बाँसवाडा